(b) if so, the facts and details in this regard;

(c) whether the use of cow and beef fat is permissible in manufacturing toffees and chewinggums; and

(d) if not, what action Government propose to take against the company?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) Yes, Sir.

(b) The Government has not granted any approval to M/s. Pepsi Foods Limited or to M/s. Pepsico India Holdings for manufacture of chewing-gum. M/s. Pepsi Foods Limited have also stated that neither they nor M/s. Pepsico India Holdings or any of its subsidiaries manufactures or markets chewinggum.

(c) No, Sir.

(d) In view of (c) above, no action is called for.

Pending applications for Approval for the Production of Naphtha NGL

*132 SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether the export of Naphtha/ NGL is made only after meeting the demand of indigenous industry;

(b) if so, the number of files/cases pertaining to the allocation/ administrative final approval of NGL/ Naphtha are pending in MoS office since the past one month; and

(c) the reasons for not granting final approval to the cases pending since the past more than one month?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A number of applications for allocation of Naphtha/NGL are received from various firms/companies. As NGL/Naphtha are highly inflammable products and can be used for adulteration of petrol/diesel, the applications are minutely scrutinised and carefully processed in consultation with the Oil Companies, Oil Coordination Committee, various sponsoring Ministries/ Departments like Ministry of Power, Department of Chemicals and Petrochemicals, Department of Fertilizers, Ministry of Steel and expert opinion. The applicants are required also to furnish certificates/clearances from various authorities like the State Pollution Control Board, the Chief Controller of Explosives, Directorate of Industries of State, etc. As allocation is based on recommendations/clearances of other Ministries/authorities, expert opinion and logistic feasibility, the process is inherently time-consuming and it takes time to take final decision. All efforts are made to expedite decision.

दूरसंचार निगम द्वारा विदेशी बाज़ार से संसाधनों का जुटाया जाना

133.**श्री दिपीप सिंह जूदेव**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार निगम ने अपनी आधुनिकीरण और विकास योजनाओं के लिए विदेशी बाजार से अतिरिक्त संसाधन जुटाने का निर्णय लिया हैं;

(ख) क्या दूरसंचार निगम विदेशी बाज़ार में यूरों वाण्ड जारी करने का विचार रखता हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो इस संबध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ,

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखमय): (क) जी हां ।

(ख) जी हां। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के जाने मामले में नीचे उत्तर (ग) (1) के अनुसार

(ख) जी हां । महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा विश्व बाज़ार में 250मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य बंधपत्र जारी करने का प्रस्ताव,हाल ही में

वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया हैं। सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

(2) विदेशी संचा र निगम लिमिटैड आधुनिकीकरण एवं विकास परियोजनाओं के लिए 15 मिलियन अमरीकी डॉलर के वाणिज्यिक ऋण के बारे में बातचीत कर रहा हैं।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन न किया जाना

134. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी प्रकार के प्रदूषणों में वृद्धि होने का मुख्य कारण सरकार की प्रदूषण निंयत्रण संबंधी नीतियों का कार्यान्वयन न किया जाना हैं,

(ख) यदि हां, तो इन नीतियों को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी प्रकार के प्रदूषणों को रोकने की दृष्टि से सरकार इन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए क्या ठोस उपाय कर रही हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग) प्रदूषण में वृद्धि के मुख्य कारण मुख्यतया उद्योगों से तरह बहिस्त्रावों तथा गैसीय उत्सर्जनों के निपटान तथा नगरीय मजजल तथा घरेलू अपशिष्टों के अधाधुंध निपटान के कारण होता हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में मोटर गड़ियों के उत्सर्जन शहरी वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से योगदान करते हैं। सरकार ने देश मे प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनेक उपाय किए हैं। वायु (प्रदुषण निवारण एंव नियंत्रण) अधिनियम ,1981 तथा जल प्रदूषण निवारणं एवं नियत्रण) अधिनियम , 1974 तथा सरकार द्वारा तैयार की गई नीतियों के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारणं एवं नियत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. उद्योगों को स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकियां अपनाने केलिए बढ़ावा दिया जाता हैं ताकि अपशिष्टों का सृजन कम हो।

2. सल्फार डाईआक्साइड उत्सर्जनों को रोकनें के लिए कतिपय संवदेनशील क्षेत्रों और चार महानगरों को अल्प –सल्फर डीज़ल मुहैया कराया जायेगा।

3.केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो द्वारा अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर कम करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई हैं। देश में ऐसे 24 क्षेत्रों की पहचान की गई है;

4. प्रदूषण फैलाने वाली प्रमुख श्रेणियों के लिए उत्सर्जन और बहिस्त्राव मानक निर्धारित किए गए हैं।

5. उद्योगों को निर्देश दिया गया हे कि वे एक निर्धारित समय –सीमा के अन्दर ऐसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करें तथा दोषी इकाइयों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

6. वाहनों से प्रदूषण निंयत्रण के लिए मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों के लिए उत्सर्जन मानदण्ड अधिसूचित किए गए हैं। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के अन्तर्गत यानीय उर्त्सजनों के लिए कठोर मानक अधिसूचित किए गए हैं जो अप्रैल , 1996 से लागू होंगे।

7. मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत ठोस और द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

8. दिल्ली , बुम्बई , कलकत्ता और मद्रास के चार महानगरों में कैटेलिटिक कन्वर्टर्स युक्त कारों के लिए 1.4.1995 से सीमा रहित पेट्रोल बेचा जा रहा है।

9. उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं।

10. प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करने तथा भीड़- भाड़ वाले क्षेत्रों से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अन्यत्र ले जाने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

11. प्रदूषण निंयत्रण / निगरानी उपकरणों के लिए उद्योगों को सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में छूट दी जाती हैं।

12. लघु औद्योगिकी समूहों में साझे बहिस्त्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए एक स्कीम शुरू की गई हैं।

13. गंगा कार्य योजना के चरण-1 पूरी होने को है तथा सरकार ने गंगा कार्य योजना चरण -2 के अन्तर्गत यमुना और गोमती कार्य योजनाएं मंजूर की हैं जिन्हें कार्यन्वित किया जा रहा हैं। सरकार ने राष्ट्रीय नदी कार्य योजना को भी अनुमोदित कर दिया है जिसके तहत प्रदूषित नदी के उन अभिनिर्धारित